P1 R.M.M. Law College Saharsa.
Manvendra Mandal | Subject - Contract - I
Part-time Lecturer | Part - 1

प्रतिग्रहण अथवा स्वीकृति (Acceptance)

Acceptance संविदा रचना का द्वितीय चरण है जिसके अभाव में Proposal सिर्फ proposal ही रह जाता है तथा संविदा निर्माण का कार्य अग्रसर नहीं हो पाता है। क्योंकि प्रस्थापना और प्रतिग्रहण मिलकर वचन बनता है। प्रतिग्रहण शब्द का अर्थ है किसी बात को स्वीकार करना या प्रस्थापना (proposal) से सहमत होना। संविदा अधिनियम की धारा 2(ख) में Acceptance की परिभाषा इस प्रकार है "जबकि वह व्यक्ति, जिससे प्रस्थापना की जाती है, उसके प्रति अपनी अनुमति या सहमति प्रदान करता है तो कहा जाता है कि प्रस्थापना प्रतिग्रहीत (Accept) हुई। इस प्रकार Proposal के प्रति अनुमति या सहमति व्यक्त करना ही प्रतिग्रहण है।" उदाहरण के लिए अ अपने मकान को 10,000 रु० में विक्रय करने की प्रस्थापना ब से करता है। ब उस मकान को 10,000/रु० में खरीद करने की अपनी अनुमति देता है तो यहाँ पर ब के द्वारा प्रस्थापना प्रतिग्रहीत की गई।

प्रतिग्रहण का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से प्रस्थापना की गई हो। यदि दोनों पक्ष में इस प्रकार प्रस्थापना हुई है तो प्रतिग्रहीत होने पर उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रस्थापना और प्रतिग्रहण में शरीर और आत्मा का सम्बन्ध है। विधिवेत्ता एन्सन (Anson) का भी कथन कि "प्रतिग्रहण का प्रस्थापना के साथ वही सम्बन्ध है जो जलती हुई दिया सलाई की तिली का बारूद की गाड़ी के साथ" (Acceptance is to offer what a lighted Match is to train of gun powder) कहने का भाव यह है कि जलती हुई दिया सलाई की तिली तथा बारूद जब-तक एक दूसरे से अलग है तब-तक निष्प्रभावी होंगे, लेकिन जैसे ही जलती हुई दिया सलाई की तिली को बन्दूक के बारूद से लगा दिया जाय तो बारूद का रूप बदल जाता है तथा वह प्रभावकारी हो जाता है। उसी प्रकार प्रस्थापना करने के पश्चात जब-तक उसका प्रतिग्रहण नहीं हो जाता प्रस्थापना, प्रस्थापना ही रह जाती है। वह दूसरे पक्षकार पर बन्धनकारी नहीं हो

Scanned with CamScanner

P2

प्रतिग्रहण अथवा स्वीकृति (Acceptance)

सकती। लेकिन प्रस्थापना का प्रतिग्रहण होते ही उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है तथा संविदा का रूप धारण कर लेता है। प्रस्थापना बारूद की तरह है और प्रतिग्रहण जलती हुई दिया सलाई की तीली। दोनों के संयोग मात्र से एक नई चीज उत्पन्न होती है जिसे संविदा कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण तथा तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रस्थापना के प्रतिग्रहण के बिना संविदा का निर्माण संभव नहीं है। The end.

** संक्षिप्त टिप्पणी - वचनदाता एवं वचनग्रहीता

प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति 'वचनदाता' एवं प्रस्थापना को accept करने वाला व्यक्ति 'वचनग्रहीता' कहलाता है। इन शब्दों का उपयोग प्रथम बार उस समय किया जाता है, जब कोई प्रस्थापना accept कर ली जाती है।

वचनादाता और वचनग्रहीता दोनों का अलग-अलग व्यक्ति होना आवश्यक है। एक ही व्यक्ति एक साथ वचनदाता और वचनग्रहीता दोनों नहीं हो सकता।

उदाहरणार्थ - माल के क्रय-विक्रय के संव्यवहार में एक पक्षकार क्रेता एवं दूसरा पक्षकार विक्रेता, पट्टे के संव्यवहार में एक पक्षकार पट्टादाता (lessor) तथा दूसरा पक्षकार पट्टेदार (lessee) बीमा के संव्यवहार एक पक्षकार बीमाकर्ता (insurer) तथा दूसरा पक्षकार बीमाकृत व्यक्ति (person insured) होता है।

Scanned with CamScanner